राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय
चौमू हाऊस, परिवहन मार्ग, जयपुर

बोली आमंत्रण–सूचना

कमांक : मु./के.टे./26/111 दिनांक : 13-04-26

मैसर्स ....
....
....

विषय :– ए.सी. एवं वाटर कूलर्स की वार्षिक मरम्मत एवं रख रखाव हेतु दरें प्रस्तुत कराने हेतु।

उपर्युक्त विषय में लेख है कि निगम मुख्यालय के ए.सी. एवं वाटर कूलर्स की वार्षिक मरम्मत एवं रख रखाव हेतु एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जाना है। अतः आप निम्न क्षमता के ए.सी. एवं वाटर कूलर्स की ए.एम.सी. की दरें निम्न प्रोफार्म में इस कार्यालय में दिनांक 24.04.2026 को 15:00 बजे तक प्रेषित कराने का श्रम करावें।

क.सं.	विवरण	प्रस्तावित ए.एम.सी. की दर
1	1.5 टन क्षमता विण्डो ए.सी. मय स्टेबलाईजर	
2	1.5 टन क्षमता स्पिलिट ए.सी. मय स्टेबलाईजर	
3	2.0 टन क्षमता स्पिलिट ए.सी. मय स्टेबलाईजर	
4	150/150 क्षमता वाटर कूलर मय स्टेबलाईजर	

बोलीदाता फर्म द्वारा बोली प्रपत्र के साथ बोली प्रपत्र शुल्क 200+36=236 रूपये व अमानत राशि 3,200/– रूपये की किसी भी अनुसूचित बैंक की डी.डी. जो **FA RSRTC,JAIPUR** के नाम देय होगी अथवा निगम कोष में नकद जमा की रसीद संलग्न करनी होगी। ए.सी. एवं वाटर कूलर्स की संख्या व अन्य शर्तें इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार – तीन

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय
चौमू हाऊस, परिवहन मार्ग, जयपुर

निगम मुख्यालय के 41 एयर कन्डीशनर्स एवं 06 वाटर कूलर्स की वार्षिक मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु शर्ते निम्न है :–

1. मुख्यालय में विभिन्न कक्षों में स्थापित कुल 41 नग एयर कन्डीशनर्स मय स्टेबलाईजर्स एवं 06 नग वाटर कूलर्स मय स्टेबलाईजर्स की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जाना है। अनुबन्ध अवधि में यदि कोई ए.सी. एवं वाटर कूलर हटा लिया गया हो तो उसकी ए.एम.सी स्वतः ही समाप्त मानी जावेंगी तथा यदि कोई पुराना ए.सी. एवं वाटर कूलर स्थापित कराया जाता है तो वह स्वतः ही ए.एम.सी में माना जावेगा। ए.सी. एवं वाटर कूलर जो वर्तमान में ए.एम.सी के तहत चालू हालत में है,उनका विवरण निम्नानुसार है–

(M)	1.5 टन क्षमता विण्डो ए.सी. मय स्टेबलाईजर	03 नग
(N)	1.5 टन क्षमता स्पिलिट ए.सी. मय स्टेबलाईजर	20 नग
(O)	2.0 टन क्षमता स्पिलिट ए.सी. मय स्टेबलाईजर	18नग
(P)	150/150 क्षमता वाटर कूलर मय स्टेबलाईजर	06 नग

2. सभी इकाईयॉ मय स्टेबलाईजर के स्थापित है इनका एक वर्ष तक रख–रखाव किया जावेगा। निगम द्वारा इस पर कोई भी खर्चा वहन नहीं किया जावेगा। सफल बोलीदाता फर्म को उक्त ए.सी. एवं वाटर कूलर्स को मय स्टेबलाईजर्स पूर्ण रूप से चालू हालत में रखा जाना होगा। इसके लिए सर्विस एवं मरम्मत की आवश्यकता होने पर सफल बोलीदाता फर्म द्वारा की जानी होगी। **मरम्मत में यदि कोई पार्टर्स बदला जाना हो तो संबंधित कम्पनी के मूल पार्ट ही लगाया जाकर सर्विस की जावेगी,जिसका पूर्ण खर्चा सफल बोलीदाता फर्म का ही होगा।**

3. अनुबंध का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्थानान्तरण या सबलेट नहीं किया जावेगा।

4. सफल बोलीदाता फर्म द्वारा ए.सी. एवं वाटर कूलर्स की मय स्टेबलाईजर्स के अनुबंध अवधि में कम से कम 3 बार सर्विस की जानी अनिवार्य होगी एवं इसके अलावा जब भी मरम्मत की आवश्यकता होगी,निगम द्वारा सूचित किये जाने के तुरन्त बाद सफल बोलीदाता फर्म को मरम्मत हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

5. यह है कि अनुबंध क्रियान्वयन शर्तों एवं विवेचना के संबंध में दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निम्नानुसार प्रावधान रहेगाः–

(1.) **Dispute Resolution:- Any dispute or difference Whatsoever arising between the parties out of or relating to,the construction,meaning,scope,opration or effect of this contract or the validity or the breach thereof,shall in the first instance,be resolved by-referring such dispute or difference to the Standing committee constituted vide rajasthan stste road transport corporation's office order no. Ho/Law/Gen/17/781 date 03-10-2017. The standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.**

(2.) **Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.**

भविष्य में यदि इस संबध में अन्य कोई आदेश निगम में लागू होता है तो उसे अनुबंध पर लागू माना जावेंगा। न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

6. किसी यूनिट की मरम्मत मौके पर यदि मुख्यालय में संभव नहीं होती है तथा उस यूनिट को सफल बोलीदाता फर्म अपनी कार्यशाला में ले जाना आवश्यक समझता है तो कार्यशाला में ले जाने एवं मरम्मत पश्चात् वापिस मुख्यालय में लाने की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता फर्म की होगी एवं इसकों ले जाने व लाने का खर्चा भी सफल बोलीदाता फर्म द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
7. सफल बोलीदाता फर्म द्वारा जिस यूनिट को मरम्मत हेतु कार्यशाला में ले जाया जावेगा। उसे अधिकतम एक सप्ताह के भीतर मरम्मत करके वापिस मुख्यालय में यथा स्थान पर लगा कर चालू कर संभलवाना होगा। यदि निर्धारित समय में वापिस नहीं लगाई जाती है, तो निम्नानुसार शास्ति राशि सफल बोलीदाता फर्म से वसूली योग्य होगी:—

1.	एयर कन्डीशनर	200/—रूपये प्रतिदिन प्रति यूनिट
2.	वाटर कूलर	100/—रूपये प्रतिदिन प्रति यूनिट
3.	स्टेबलाईजर	20/—रूपये प्रतिदिन प्रति यूनिट

इसके लिए दिनों की गणना यूनिट ले जाने के दूसरे दिन से मानी जावेगी।

4. सफल बोलीदाता फर्म को बतौर सुरक्षा राशि 15,000/— रूपयें की किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारण्टी अथवा डी.डी. जो **FA RSRTC,JAIPUR** के नाम देय होगी, निगम कोष में जमा करानी होगी।
5. यदि सफल बोलीदाता फर्म द्वारा एक माह तक भी कार्य संतोषप्रद नहीं किया जाता है तो निगम को सफल बोलीदाता फर्म के हर्जे खर्चे पर कार्य अन्य एजेन्सी से करवाने का अधिकार होगा। जिसकी वसूली सुरक्षा राशि/भुगतान राशि में से की जा सकेगी।
6. निगम के अधिकृत प्रतिनिधि को सफल बोलीदाता फर्म की कार्यशाला का कभी भी निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

11. सफल बोलीदाता फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर जमा सुरक्षा राशि जब्त करने एवं अनुबन्ध समाप्त करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।
12. किसी/समस्त बोली प्रस्तावों को निरस्त करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।
13. किसी भी प्रकार का कर संबंधी दायित्व सफल बोलीदाता फर्म का होगा।
14. बोलीदाता फर्म द्वारा बोली प्रपत्र के साथ बोली प्रपत्र शुल्क 200+36=236 रूपये व अमानत राशि 3200/– रूपये की किसी भी अनुसूचित बैंक की डी.डी. जो **FA RSRTC, JAIPUR** के नाम देय होगी अथवा निगम कोष में नकद जमा की रसीद संलग्न करनी होगी।
15. बोली दिनांक 24.04.2026 को 15.00 बजे तक ही स्वीकार की जावेंगी तथा निर्धारित समय पश्चात प्राप्त बोली प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त बोली प्रस्तावों को दिनांक 24.04.2026 को 15.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा।
16. सफल बोलीदाता फर्म को ए.सी. एवं वाटर कूलर के वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव हेतु 500/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र संपादित करना होगा।
17. सशर्त बोली स्वीकार्य नहीं होगी।
18. अनुबन्ध पर RTPP Act 2012,Rules 2013 के नियम लागू होगें।

हस्ताक्षर बोली प्रस्तुतकर्ता/ बोलीदाता
मय मोहर

कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)